# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

**राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 23 / 2020 / बाड़मेर**

| **अपीलांट** | | **रेस्पोडेंटगण** |
|---|---|---|
| 1. उदाराम पुत्र शिवलाल उम्र 85 वर्ष जाति राजपुरोहित निवासी रेवाड़ा सोढ़ा हाल बालोतरा तहसील पचपदरा | **बनाम** | 1.रतनसिंह पुत्र भंवरलालजी<br>2.गिरधारीसिंह पुत्र भंवरलालजी<br>3.वीरमसिंह पुत्र भंवरलालजी<br>4.भीखूदेवी बेवा भंवरलालजी<br>5.धनसिंह पुत्र खेताजी<br>6.शंकरसिंह पुत्र खेताजी जातियान राजपुरोहित सभी निवासीयान रेवाड़ा सोढ़ा तहसील पचपदरा<br>7.राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार पचपदरा |

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 133 / 2010 बअनवान रतनसिंह बनाम उदाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2020 के विरूद्ध पेश हुई।**

**उपस्थिति**

1. वकील श्री अचलाराम थोरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सिद्धार्थ परिहार रेस्पोडेंट की ओर से।

## निर्णय

**दिनांकः— 06.01.2021**

अपील के अंतर्गत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार प्रकट किये गए है कि मौजा रेवाड़ा सोढ़ा में खेत खसरा संख्या 32 रकबा 12 बीघा, खसरा संख्या 25 रकबा 38 बीघा, खसरा संख्या 30 रकबा 50.18 बीघा आये हुए है जिस पर स्व. खेताजी के परिवार की पुराना कब्जा काश्त था, वादीगण के पूर्वज सांसणदार थे, भूमि उनके खुदकाश्त की होने से तथा वक्त सेटलमेंट एवं काश्तकारी अधिनियम लागू होने के वक्त संवत 2011—12 में कब्जाकाश्त होने से पर्चा संख्या 46 रजिस्ट्रर संख्या 264 भंवरलाल, धना, शंकर, पिसरान खेताराम पुरोहित के नाम जारी किया गया। खेताजी के पुत्र भंवरलालजी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 के बीच बापसी बाहमी तस्पिये से जबानी बंटवाड़ा हुआ, जिसके अनुसार खसरा संख्या 32 रकबा 12 बीघा वादीगण के पिता भंवरलाल के हिस्से में रखा इस भूमि पर वादीगण का परिवार काबिज काश्त है वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पिता भंवरलाल का कब्जा काश्त था, उनके पश्चात वादग्रस्त भूमि पर वादीगण काबिज काश्त है, वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

भंवरलाल, चाचा धनजी व शंकरजी के खुदकाश्त जागीर की भूमि थी, तथा भूमि पर उनका कब्जा काश्त होने से सेटलमेंट वालो ने पर्चा लगान व पर्चा खतौनी बनाते वक्त गलती से वादीगण के पिता का नाम जागीरदार के कॉलम में लिख दिया, तथा भूमि बिला कब्जा मुमकिन लिख दिया गया। भंवरलालजी का देहान्त संवत 2033 में हो गया, उस समय वादीगण की उम्र नाबालिग थी, उनके परिवार के पास गुजारे का साधन नहीं था, लेकिन वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त आज दिन तक वादीगण का ही रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 का भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा न आज मौके पर है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा इस आशय की खातेदारी घोषणा का दावा पेश किया। वादीगण या उनके हक पूर्वाधिकारी के खातेदारी नहीं रही है, फिर भी उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है, कि वाद पत्र का निर्णय तनकीवार पारित करना आवश्यक है, किन्तु अपीलाधीन निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया गया है, जिससे अपीलाधीन निर्णय विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आराजी खसरा संख्या 32 व खसरा संख्या 30 तत्समय में यानि वक्त सेटलमेंट राजकीय भूमि रही है, जो तथ्य प्रदर्श ए 9 से ही सिद्ध है। रेवाड़ा सोढ़ा जागीरी गांव था, जिसका एक ही सेटलमेंट प्रभाव में आया है, खतौनी बंदोबस्त संवत 2009 में उक्त भूमि खसरा संख्या 25, 30, 32 तीनों ही खाता संख्या 01 सरकारी बिला कब्जा मुमकिन रहा है, जिस कारण भूमि आवंटन/ नियमन कमेटी के सदस्यगण द्वारा दिनांक 12.07.1972 को अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 01 के नाम खसरा संख्या 30 में से 04 बीघा जमीन व खसरा संख्या 32 में से 12 बीघा जमीन नियमित की है। अपीलाधीन आराजी पर रेस्पोडेंटस/वादी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। अपीलाधीन वाद पत्र राजस्थान सरकार के विरूद्ध अभिवचन किये है, किन्तु वर्तमान वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी पी सी का नोटिस नहीं दिया, और विगत 55 वर्षो की अवधि में भी तथाकथित त्रुटि की दुरस्ती बाबत कोई कार्यवाही नहीं की। रेस्पोडेंटस द्वारा उक्त नियमन आदेश के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 75 आर.एल.आर. एक्ट की अपील संख्या 16/2010 दिनांक 27.08.2010 को पेश की जो दिनांक 23.04.2015 को खारिज की गई। उक्त नियमन आदेश नियमन कमेटी द्वारा पारित किया गया,

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वह पूर्ण होकर पुख्ता हो गया, जिसको वर्तमान राजस्थान टिनेंसी एक्ट के तहत दायर वाद में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय तनकीवार पारित करना आवश्यक है, किन्तु अपीलाधीन निर्णय में तनकीवार पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि मौजा रेवाड़ा सोढ़ा में खेत खसरा संख्या 32 रकबा 12 बीघा, खसरा संख्या 25 रकबा 38 बीघा, खसरा संख्या 30 रकबा 50.18 बीघा आये हुए है जिस पर स्व खेताजी के परिवार की पुराना कब्जा काश्त था, वादीगण के पूर्वज सांसणदार थे, भूमि उनके खुदकाश्त की होने से तथा वक्त सेटलमेंट एवं काश्तकारी अधिनियम लागू होने के वक्त संवत 2011–12 में कब्जाकाश्त होने से पर्चा संख्या 46 रजिस्ट्रर संख्या 264 भंवरलाल, धना, शंकर, पिसरान खेताराम पुरोहित के नाम जारी किया गया। खेताजी के पुत्र भंवरलालजी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 के बीच बापसी बाहमी तस्पिये से जबानी बंटवाड़ा हुआ, जिसके अनुसार खसरा संख्या 32 रकबा 12 बीघा वादीगण के पिता भंवरलाल के हिस्से में रखा इस भूमि पर वादीगण का परिवार काबिज काश्त है वादग्रस्त भूमि पर वादीगण पर वादीगण के पिता भंवरलाल का कब्जा काश्त था, उनके पश्चात वादग्रस्त भूमि वादीगण काबिज काश्त है, वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता भंवरलाल, चाचा धनजी व शंकरजी के खुदकाश्त जागीर की भूमि थी, तथा भूमि पर उनका कब्जा काश्त होने से सेटलमेंट वालो ने पर्चा लगान व पर्चा खतौनी बनाते वक्त गलती से वादीगण के पिता का नाम जागीरदार के कॉलम में लिख दिया, तथा भूमि बिला कब्जा मुमकिन लिख दिया गया। भंवरलालजी का देहान्त संवत 2033 में हो गया, उस समय वादीगण की उम्र नाबालिग थी, उनके परिवार के पास गुजारे का साधन नहीं था, लेकिन वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त आज दिन तक वादीगण का ही रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 का भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा न आज मौके पर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया गया जिसमें किसी प्रकार कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन/चिंतन करने के पश्चात तथ्यात्मक रूप में पाया गया है कि :–

- ग्राम रेवाड़ा सोढ़ा के नामांतकरण संख्या 11 से स्पष्ट है कि राजकीय सिवायचक भूमि (प्रदर्श EX-4 के मुताबिक) खसरा संख्या 25 रकबा 38 बीघा तथा खसरा संख्या 30 रकबा 50.18 बीघा भूमि पर भंवरलाल पुत्र खेताराम को रेगुलाईज (नियमितिकरण) होने से दिनांक 05.08.1970 को खातेदारी दी गई।
- तत्पश्चात उसी ग्राम के नामांतकरण संख्या 18 (प्रदर्श EX-1 & EX-10 ) के मुताबिक राजकीय सिवायचक भूमि खसरा संख्या 30 रकबा 50.18 बीघा में से 04.00 बीघा तथा खसरा संख्या 32 रकबा 12 बीघा पर दिनांक **12.07.1972** को ऊदा पिता शिवलाल के नाम नियमन किये जाने से खातेदारी दी गई जिसमें से खसरा संख्या 32 रकबा 12 बीघा जमाबंदी संवत 2063–2066 **(प्रदर्श EX-11 ) के अनुसार ऊदा पुत्र शिवलाल** की खातेदारी में रही है।
- जमाबंदी संवत 2027 से 2030 रेवाड़ा सोढा (प्रदर्श EXA-5 ) से स्पष्ट साबित है कि आदेश संख्या 217 दिनांक 05.08.1970 के मिसल नं. 1593 द्वारा **रेगुलाईज भंवरलाल पुत्र खेताराम** के खसरा संख्या 25 रकबा 38 बीघा तथा खसरा संख्या 38 रकबा 50.18 बीघा जरिये नामांतकरण संख्या 11 खातेदारी दर्ज हुई, साथ ही खसरा संख्या 32 रकबा 12 बीघा जरिये नामांतकरण संख्या 18 के द्वारा ऊदाराम की खातेदारी मुं दर्ज हुई। इस प्रकार राजस्व अभिलेख से साफ साबित होता है कि सन् 1970 में वादीगण (रेस्पोडेंट) के पिता भंवरलाल ने में अपने कब्जे में रही राजकीय सिवायचक भूमि खसरा संख्या 25 व 30 अपने पक्ष में रेगुलाईज कराई तब खसरा संख्या 32 रकबा 12 बीघा उसके पक्ष में रेगुलाईज नहीं हुआ और यह खसरा संख्या 32 राजकीय अनाधिवासित भूमि रह जाने के कारण तत्पश्चात अपीलांट के पक्ष में नियमित होकर उसे खातेदारी दी। **वादीगण(रेस्पोडेंट) के पिता को तब भी इस खसरे पर अपना दावा जताने का पूर्ण अवसर था लेकिन उसने ऊदाराम को नियमन होने से पूर्व तक इस बाबत कोई एतराज नहीं किया** लिहाजा वह खसरा संख्या 32 रकबा 12 बीघा ऊदा के पक्ष में नियमित होकर उसे

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खातेदारी दी जो तब से अनवरत उसके कब्जे काश्त में होकर उसकी खातेदारी में रही है। रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तग्रत वाद तथ्यों एवं रिकॉर्ड से परे पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं की गई बल्कि अपीलाधीन निर्णय राजस्व अभिलेख के आलोक में दावा साबित नहीं होने के बावजूद पारित किया है जो कायम रखने लायक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ भी है। उपरोक्त विवेचन एव पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/अभिलेख के आलोक में अपील अपीलांट स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 133/2010 बअनवान रतनसिंह बनाम उदाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2020 को अपास्त/खारिज किया जाता है।

06/01/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/01/2021

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

# डिक्री बसीगे अपील

## अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

बइजलास श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

| अपीलाण्ट | | रेस्पोडेण्ट |
|---|---|---|
| 1. उदाराम पुत्र शिवलाल उम्र 85 वर्ष ज़ाति राजपुरोहित निवासी रेवाड़ा सोढ़ा हाल बालोतरा तहसील पचपदरा | ब<br>ना<br>म | 1. रतनसिंह पुत्र भंवरलालजी<br>2. गिरधारीसिंह पुत्र भंवरलालजी<br>3. वीरमसिंह पुत्र भंवरलालजी<br>4. भीखूदेवी बेवा भंवरलालजी<br>5. धनसिंह पुत्र खेताजी<br>6. शंकरसिंह पुत्र खेताजी जातियान राजपुरोहित सभी निवासीयान रेवाड़ा सोढ़ा तहसील पचपदरा<br>7. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार पचपदरा |

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 133/2010 बअनवान रतनसिंह बनाम उदाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2020**

## दावा बाबत

यह अपील बतारीख 06 जनवरी 2021 बहाजरी अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी मिनजानिब अपीलाण्ट एवं रेस्पो. की ओर से अधिवक्ता सुगनमल परिहार उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार करने योग्य ठहरती है। तदनुसार अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 133/2010 बअनवान रतनसिंह बनाम उदाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2020 को अपास्त/खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। (खर्चा अपील हाजा का हस्व तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रूपये -------------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हाजा तारीख 06 जनवरी 2021 को जारी किया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर/जैसलमेर मु. जोधपुर
सत्यमेव जयते

6/01/2021
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

... निरन्तर

## खर्चा अपील

| अपीलाण्ट | राशि | रेस्पोडेण्ट | राशि |
|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील<br>2. स्टाम्प वकालतनाम<br>3. इजराय हुक्मनामा<br>4. वकील फीस बाबत<br>मीजान | / | 1. स्टाम्प वकलातनामा<br>2. स्टाम्प अर्जी<br>3. इजराय हुक्मनामा<br>4. मेहनताना वकील<br>मीजान | / |

6/01/2021
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर